

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी आह्वाद निवृत्ति सामनाथ, आई.एस.

प्रकरण संख्या 130/2023

1. शिव सिंह पुत्र बहादुर सिंह दरोगा निवासी पांसल हाल निवासी कांवाखेडा भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।
2. राजू सिंह पुत्र बहादुर सिंह दरोगा निवासी पांसल हाल निवासी कांवाखेडा भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।
3. सुरेश सिंह पुत्र बहादुर सिंह दरोगा निवासी पांसल हाल निवासी कांवाखेडा भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।
4. रणजीत सिंह पुत्र बहादुर सिंह दरोगा निवासी पांसल हाल निवासी कांवाखेडा भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।

— प्रार्थीगण

बनाम

शंकर पुत्र बालू दरोगा निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाडा।
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 129, 131, 136 भू0राजस्व अधिनियम

स्थित:-

अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री शोभागमल कुमावत
अधिवक्ता विपक्षी श्री भगवानलाल रेगर


निर्णय

दिनांक 20.03.2024

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 129, 131, 136 भू राजस्व अधिनियम का विरुद्ध विपक्षी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद पांसल पह0 पांसल भू0अ0नि0 पांसल तहसील व जिला भीलवाडा आराजी संख्या 2970/1 रकबा 0.0253 हैकटेयर, आराजी संख्या 2971/3 रकबा 0.0885 हैकटेयर भूमि है जो प्रार्थीगण के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र की चरण 01 में वर्णित भूमि जो कि विपक्षी संख्या 01 से दिनांक 25.04.2011 को रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के जरिये की है व आराजी नम्बर 2971/3 रकबा 0.0885 हैकटेयर जो कि आराजी नम्बर 2971/1 रकबा 17 में से विपक्षी संख्या 01 से कयशुदा भूमि का नवीन बटा नम्बर है। विपक्षी संख्या 01 द्वारा प्रार्थीगण जिस्टर्ड विक्रयपत्र से जरिये 09 बिस्वा भूमि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि विक्रय की है के पडौस निम्न प्रकार है:-

श्री बहादुर सिंह की जमीन, पश्चिम :- कच्चा रास्ता, उत्तर 5- शंकर जी (विपक्षी संख्या 01) की आराजी शेष, दक्षिण :- कुआ पर जाने का रास्ता व वर्तमान में कैलाश सिंह दरोगा की जमीन उक्त पडौस जो कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में भी उल्लेखित होकर इसी अनुसार मौके पर कब्जा किया गया है। प्रार्थीगण भी रजिस्टर्ड विक्रयपत्र में वर्णित पडौस अनुसार ही मौके पर काबिज है। प्रार्थीगण द्वारा वर्तमान राजस्व नक्शे की नकल प्राप्त की तो पता चला कि प्रार्थीगण द्वारा कयशुदा बिस्वा जिसके नवीन आराजीनम्बर 2971/3 है, विपक्षी संख्या 01 द्वारा आराजी नम्बर 2971/1 रकबा 17 बिस्वा मे से 07 बिस्वा विक्रय करने के पश्चात उसका रकबा व अराजी नम्बर 2971/1 रकबा 0. हैकटेयर है जो कि उत्तर दिशा की तरफ विपक्षी संख्या 01 की आराजी का शेष भाग रहा है लेकिन व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 2971/3 जो कि दक्षिण दिशा की तरफ तरमीम करनी थी जिसे उत्तर दिशा में व विपक्षी संख्या 01 की आराजी नम्बर 2971/1 जो कि उत्तर दिशा में करनी चाहिए थी जिसे दक्षिण दिशा की तरफ तरमीम कर दी जो गलत है। प्रार्थीगण रजिस्टर्ड पत्र में वर्णित अनुसार एवं मौके पर कब्जे अनुसार तरमीम कराया जाना आवश्यक है। अतः राजस्व में तरमीम दुरुस्ती कराये जाने का आदेश प्रदान कराये जाने की प्रार्थना की है। प्रार्थना पत्र के में जमाबन्दी की नकल संवत 2073 से 2076 खाता संख्या 1778 की प्रतिलिपी नक्शा ट्रेस की फोटों विक्रय पत्र की फोटों प्रति प्रस्तुत की है।


प्रार्थीगण का प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण के सम्मन जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1 की इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया गया।


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए ग्राम पांसल के आराजी नम्बर 2971/3, 2971/1 की रजिस्टर्ड विक्रयपत्र में वर्णित पडौसान अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम कराये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।
विपक्षी संख्या 01 के अधिवक्ता ने इकबालिया जवाब में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में आपत्ति प्रकट नहीं की है।
प्रार्थीगण का प्रार्थना एवं विपक्षी संख्या 01 के इकबालिया जवाब का अध्ययन किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का परीक्षण किया गया। ग्राम पांसल प0ह0 पांसल तहसील भीलवाडा के आराजी नम्बर 2971/3 रकबा 0.0885 है0 भूमि जो प्रार्थीगण की है एवं आराजी नम्बर 2971/1 रकबा 0.1265 हैक्टेयर भूमि विपक्षी संख्या 01 की है। आराजी नम्बर 2971/3 जिसकी नक्शे दक्षिण दिशा की तरफ तरमीम करनी चाहिए थी जिसे उत्तर दिशा में कर दी एवं विपक्षी संख्या 01 की आराजी नम्बर 2971/1 जो उत्तर दिशा में तरमीम करनी चाहिए थी जिसे दक्षिण दिशा की तरफ तरमीम कर दी गई है। प्रार्थीगण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में वर्णित पडौस अनुसार आराजी नम्बर 2971/3 की जगह 2971/1 एवं 2971/1 की जगह 2971/3 राजस्व नक्शे में तरमीम किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है, राजस्व नक्शे में तरमीम करते समय कब्जे का हस्तानान्तरण नहीं होगा। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य ठहरता है अतः एवं

:: आदेश ::

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 129, 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम पांसल प0ह0 पांसल भू0अ0नि0 पांसल तहसील व जिला भीलवाडा के आराजी नम्बर आराजी नम्बर 2971/3 रकबा 0.0885 है0 भूमि जो प्रार्थीगण की है एवं आराजी नम्बर 2971/1 रकबा 0.1265 हैक्टेयर भूमि विपक्षी संख्या 01 की है। आराजी नम्बर 2971/3 जिसकी नक्शे दक्षिण दिशा की तरफ तरमीम करनी चाहिए थी जिसे उत्तर दिशा में कर दी एवं विपक्षी संख्या 01 की आराजी नम्बर 2971/1 जो उत्तर दिशा में तरमीम करनी चाहिए थी जिसे दक्षिण दिशा की तरफ तरमीम कर दी गई है। प्रार्थीगण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में वर्णित पडौस अनुसार आराजी नम्बर 2971/3 की जगह 2971/1 एवं 2971/1 की जगह 2971/3 राजस्व नक्शे में तरमीम किये जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। राजस्व नक्शे में तरमीम करते समय कब्जे का हस्तानान्तरण नहीं होगा। तहसीलदार भीलवाडा उपरोक्तानुसार राजस्व नक्शे में तरमीम करने की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करे।
आजदिनांक 20.03.2024 को निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा